रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072026-274299
CG-DL-E-09072026-274299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948
No. 504]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2026

सा.का.नि. 562(अ) .—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन या उपांतरण के लिए पूर्व अनुमोदन) नियम, 2025 का प्रारूप भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि 464(अ), तारीख 11 जुलाई, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 11 जुलाई, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 28 की

उपधारा (1), धारा 106 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन या उपांतरण के लिए पूर्व अनुमोदन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है; या

(ख) "परिवर्तन या उपांतरण" से निम्नलिखित में से कोई भी अभिप्रेत है, अर्थात्, :-

(i) जलयान की विमाओं और क्षमताओं का सारभूत परिवर्तन; या

(ii) जलयान के प्रकार या प्राथमिक कार्य का परिवर्तन; या

(iii) दस प्रतिशत से अधिक द्वारा जलयान के सकल टनभार का परिवर्तन; या

(iv) नोदन प्रणाली या मुख्य इंजन या इंधन के प्रकार का परिवर्तन; या

(v) जलयान के सेवा जीवन में सारभूत वृद्धि; या

(vi) उप-प्रभाग को सारभूत रुप से प्रभावित करता है; या

(vii) जलरूद्ध तथा मौसमरूद्ध समग्रता को सारभूत रुप से प्रभावित करते हैं;

(ग) "वर्गीकरण सोसायटी" से मान्यता प्राप्त संगठन अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संगम

का सदस्य है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां तथा जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में

परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है।

3. अभिहित प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन :- (1) जलयान स्वामी या प्रचालक जो अपने जलयान में कोई परिवर्तन या उपांतरण करने का इच्छुक है जिससे उसकी समर्थता, स्थिरता या सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, इन नियमों से संलग्न प्ररुप में एक आवेदन प्रस्तावित परिवर्तन या उपांतरण की प्रकृति तथा विस्तार को विनिर्दिष्ट करते हुए अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, अभिहित प्राधिकारी जलयान की सुरक्षा, समर्थता, स्थिरता तथा अवसंरचनात्मक

समग्रता पर उनके प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रस्तावित परिवर्तन या उपांतरण का पुनर्विलोकन करेगा ।

(3) परिवर्तन या उपांतरण जलयान के डिजाइन या वर्गीकरण में सुरक्षा मानकों और किन्हीं विनिर्दिष्ट रूपरेखा की अपेक्षाओं के संबंध में अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2024 के उपबंधों की अनुपालना करेगा।

(4) अभिहित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने की दशा में, अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2024 के नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट जलयान स्वामी द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन या उपांतरण के तकनीकी पहलुओं के निर्धारण के लिए यथालागू किसी नौसेना वास्तुविद या समुद्री इंजीनियर या सर्वेक्षक या वर्गीकरण सोसायटी के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन का आदेश कर सकेगा।

(5) परिवर्तन या उपांतरण की दशा में जो जलयान सुरक्षा या पर्यावरण पर प्रभाव करेगा, अभिहित प्राधिकारी जलयान को सुरक्षा निर्धारण के माध्यम से जाने का आदेश करेगा तथा ऐसा उपाय प्रभाव को कम करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

(6) उन दशाओं में जहां ऐसे जलयान अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2024 के नियम 4 के अनुसार वर्गीकरण सोसायटी के सर्वेक्षण के अधीन अनुरक्षित करना अपेक्षित है, संबद्ध वर्गीकरण सोसायटी को भी जलयान स्वामी द्वारा तदनुसार सूचित किया जाएगा।

(7) जलयान स्वामी या प्रचालक द्वारा परिवर्तन या उपांतरण के लिए दिए गए आवेदन के सत्यापन पर,

अभिहित प्राधिकारी जलयान स्वामी या प्रचालक को पूर्व अनुमोदन का एक प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा तथा स्वामी हर समय जलयान के फलक पर पूर्व अनुमोदन प्रमाणपत्र को उपदर्शित करेगा।

(8) जलयान स्वामी अंतर्देशीय जलयान (रजिस्ट्रीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के नियम 9 के अनुसार जलयान के परिवर्तन या उपांतरण या पुनरर्जिस्ट्रीकरण (यथालागू) के अभिलेखन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

4. अन्य परिवर्तन या उपांतरण :- सभी अन्य परिवर्तन या उपांतरण, अंतर्देशीय जलयान (रजिस्ट्रीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के प्ररुप 6 में ऐसे परिवर्तन या उपांतरणों को क्रियान्वित करने के तीस दिन के भीतर अभिहित प्राधिकारी को लिखित में सूचित किए जाएंगे।

5. अनुमोदन के अनुदत्त होने के लिए मानदंड :- नियम 4 में यथानिर्दिष्ट जलयानों के सभी परिवर्तन और

उपांतरण निम्नलिखित मानदंड का पालन करेंगे, अर्थात् :-

(क) परिवर्तन या उपांतरण अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2024 के नियम 5 तथा

अधिनियम के अधीन विरचित अन्य लागू नियमों के अनुसरण में जलयान, चालकदल, यात्री तथा पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे;

(ख) अवसंरचनात्मक परिवर्तन या उपांतरण ऐसे तरीके से डिजाइन और निष्पादित किए जाएंगे जिससे जलयान की अवसंरचनात्मक समग्रता और स्थिरता का रखरखाव या वर्धन हो सके तथा अवसंरचनात्मक संगणना और निर्धारण डिजाइनर द्वारा क्रियान्वित किया जा सके और सत्यापन तथा अनुमोदन के लिए यथालागू अभिहित प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसायटी (वर्गीकरण सोसायटी के अधीन जलयानों के लिए) प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) परिवर्तन या उपांतरण के लिए जो जलयान की स्थिरता को प्रभावित करता है, यथालागू अभिहित

प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसायटी द्वारा सत्यापन के लिए अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2024 के उपबंधों के अनुसार स्थिरता विश्लेषण संचालित किया जाएगा तथा जलयान उसकी अनुमोदित स्थिरता सीमाओं के भीतर प्रचालित किया जाएगा।

प्ररुप

अंतर्देशीय जलयान में परिवर्तन या उपांतरण के पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन

[नियम 3(1) देखें]

सेवा में,

अभिहित प्राधिकारी

....

....

विषय : अंतर्देशीय जलयान में परिवर्तन या उपांतरण के लिए पूर्व अनुमोदन आवेदन

महोदय/महोदया,

मैं, [स्वामी का नाम], अंतर्देशीय जलयान के स्वामी के रुप में नामित " ------ ",शासकीय संख्या सहित

..... उक्त जलयान के निम्नलिखित प्रस्तावित परिवर्तनों/उपांतरणों को क्रियान्वित करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत करता हूं :

1..

2 ....

3 ....

प्रस्तावित परिवर्तन/उपांतरण निम्नलिखित के लिए आशयित हैं :-

....

(प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण जैसे कि सुरक्षा सुधार, क्षमता वृद्धि, अवसंरचनात्मक उपांतरण आदि)

मैं वचनबंध करता हूं कि :

(क) उपरोक्त प्रस्तावित परिवर्तन या उपांतरण अभिहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन की अभिप्राप्ति के बिना क्रियान्वित नहीं होंगे।

(ख) प्रस्तावित परिवर्तन या उपांतरण अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों की लागू उपबंधों की

अनुपालना करेगी।

(ग) जलयान अनुमोदित परिवर्तनों या उपांतरणों की पूर्णता पर जांच/सर्वेक्षण के लिए दिए जाएंगे।

मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूं :

(क) प्रस्तावित परिवर्तन/उपांतरणों की योजना/रेखाचित्र का ब्यौरा;

(ख) स्थिरता /अवसंरचनात्मक गणना, यदि लागू हो;

(ग) रजिस्ट्रीकरण संख्या के प्रमाणपत्र की प्रति -----------------

(घ) विहित फीस के संदाय का साक्ष्य (खजाना चालान) ;

(ड.) कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज: ---------------------------

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त प्रस्तुत विशिष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास से सत्य तथा सही है।

तारीख : -------------------------

स्थान :.-----------------------------

स्वामी का हस्ताक्षर :-------------------------

स्वामी का नाम :---------------------------

पता :----------------------

शासकीय उपयोग/अनुमोदन हेतु

प्रस्तावित परिवर्तनों या उपांतरणों की जांच की गई है :

- ○ अनुमोदन
- ○ शर्त सहित अनुमोदन (ब्यौरा नीचे है)
- ○ नामंजूर

शर्त यदि कोई हो :

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम और पदनाम:................

हस्ताक्षर:................

तारीख:................

[फा सं. आईडब्ल्यूटी-II- 12011/4/2025-आईडब्ल्यूटी-II]

डॉ कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2026

G.S.R. 562(E).—Whereas a draft of the Inland Vessels (Prior Approval for Alteration or Modification) Rules, 2025 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 464 (E), dated the 11th July, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 11th July, 2025, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 11th July, 2025.

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 28, sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Inland Vessels (Prior Approval for Alteration or Modification) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);

(b) "Alteration or Modification" means any of the following, namely: -

(i) substantially alter the dimensions or capacity of the vessel; or

(ii) changes type or primary function of the vessel; or

(iii) changes the gross tonnage of the vessel by more than ten per cent., or

(iv) changes the propulsion system or main engines or type of fuels; or

(v) substantially increase service life of the vessel; or

(vi) substantially affects the sub-division; or

(vii) substantially affect the watertight and weathertight integrity;

(c) "classification society" means a recognised organisation which is a member of the International Association of Classification Societies.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Prior approval of designated authority**. – (1) The vessel owners or operators desirous of making any Alteration or Modification to their vessel so as to affect its strength, stability or safety shall submit an application in the Form appended to these rules, specifying the nature and scope of the proposed alteration or modification to the designated authority.

(2) Upon receiving the application, the designated authority shall review the proposed Alteration or Modification to assess their impact on vessel safety, strength, stability and structural integrity.

(3) Alteration or Modification shall comply with the provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, in respect of the safety standards and any specific requirement outlined in the design or classification of the vessel.

(4) In case, it is deemed necessary by the designated authority, an independent evaluation may be ordered through a naval architect or marine engineer or surveyor, or through classification society, as applicable, to assess the technical aspects of the proposed Alteration or Modification by the vessel owner as specified in rule 5 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024.

(5) In case of Alteration or Modification that would impact vessel safety or environment, the designated authority

shall order the vessel to undergo a thorough safety assessment and such measure shall be implemented to mitigate the impact.

(6) In cases where such vessel is required to be maintained under survey of a classification society as per rule 4 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, the concerned classification society shall also be informed accordingly by the vessel owner.

(7) Upon verification of application for Alteration or Modification submitted by the vessel owner or operator, the designated authority shall grant a certificate of prior approval to the vessel owner or operator and the owner shall display the certificate of prior approval onboard the vessel at all times.

(8) The vessel owner shall take necessary measures for recording of Alteration or Modification or re-registration of vessel (as applicable) as per rule 9 of the Inland Vessels (Registration and other Technical issues) Rules, 2022.

4. **Other alterations or modifications.-** All other alterations or modifications shall be intimated in writing to the designated authority within thirty days of carrying out such alterations or modifications in Form 6 of the Inland Vessels (Registration and other Technical issues) Rules, 2022 .

5. **Criteria for grant of approval**. – All Alterations or Modifications to vessels as referred to in rule 4, shall adhere to the following criteria, namely:-

(a) Alteration or Modification shall ensure the safety of the vessel, crew, passengers and the environment in accordance with rule 5 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 and other applicable rules framed under the Act.

(b) structural alterations or modifications shall be designed and executed in a way that maintains or enhances the structural integrity and stability of the vessel and the structural calculations and assessments may be carried out by the designer and submitted to the designated authority or classification society (for vessels under classification society), as applicable, for verification and approval.

(c) for Alterations or Modifications that affect the stability of the vessel, a stability analysis shall be conducted as per the provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 for verification by designated authority or classification society, as applicable, and the vessel shall be operated within its approved stability limits.

FORM

Application for Prior Approval of Alteration or Modification in Inland Vessel
[See rule 3(1)]

To,
The Designated Authority,

……………………………

……………………………

Subject: Application for Prior Approval for Alteration or Modification of Inland Vessel

Sir/Madam,

I, [Name of Owner], being the owner of the inland vessel named "__________", bearing Official Number __________, hereby submit this application seeking prior approval for carrying out the following proposed alterations/modifications to the said vessel:

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

The proposed alterations/modifications are intended to:

____

(brief description of purpose, e.g., safety improvement, capacity enhancement, structural modification, etc.)

I hereby undertake that:
(a) The above proposed alterations or modifications shall not be carried out without obtaining prior approval from

the Designated Authority;
(b) The proposed alterations or modifications shall comply with the applicable provisions of the Act and rules made thereunder;
(c) The vessel shall be offered for inspection/survey upon completion of the approved alterations or modifications.

I enclose herewith the following documents:
(a) Detailed plans/drawings of proposed alterations or modifications;
(b) Stability/structural calculations, if applicable;
(c) Copy of Certificate of Registration No. __________;
(d) Proof of payment of prescribed fee (treasury challan);
(e) Any other relevant documents: _____________________.

Declaration:

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date: ____________
Place: ____________

Signature of Owner: ____________________
Name of Owner: _______________________
Address: _____________________________

For Office Use / Approval

The proposed alterations or modifications have been examined:

☐ Approved
☐ Approved with conditions (details below)
☐ Rejected

Conditions, if any:

Name & Designation of Registering Authority: ____________________
Signature: ____________________
Date: ____________________

[F. No. IWT-II-12011/4/2025-IWT-II]

DR. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.09 16:42:27 +05'30'